बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/विविध स्पष्टीकरण (बांका) 07–105/2023–..................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............

श्री वत्सांक, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, अमरपुर, बांका द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल–53**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–2041(15), दिनांक–13.09.2024 एवं पत्रांक–2427(15) दिनांक–11.12.2024 द्वारा श्री वत्सांक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री वत्सांक का कार्यालय, अंचल अधिकारी, जाले, दरभंगा के पत्रांक–2819 दिनांक–18.12.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल–53**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने संबंधी आरोपों के संदर्भ में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–638(15) दिनांक–24.04.2025, पत्रांक–993(15) दिनांक–17.06.2025 एवं पत्रांक–1461(15) दिनांक–26.11.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री वत्सांक द्वारा कार्यालय, अंचल अधिकारी, जाले, दरभंगा के पत्रांक–3085 दिनांक–03.12.2025 से अपना स्प्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री वत्सांक को "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति" अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री वत्सांक, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, अमरपुर, बांका सम्प्रति अंचल अधिकारी, जाले, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** (आदेश निर्गत की तिथि से) अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–15/विविध स्पष्टीकरण (बांका) 07–105/2023–.......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, दरभंगा एवं बांका/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा एवं बांका/श्री वत्सांक, अंचल अधिकारी, जाले, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–15/विविध स्पष्टीकरण (बांका) 07–105/2023–722 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–02/06/2026

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/सचिव के आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री वत्सांक** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Watsank(_CO_Amarpur_banka)_संचयी प्रभाव के बिना 1 Accept & reject.doc-2